

13.9.21

पत्रावली पेश हुई। बहुलाय पक्षकार उपो.  
प्रकरण के मूलवाद सं. 15/19 अनवान हजेरी  
बनाम लाहा उर्फ मांगीलाल के प्रतिवादी सख्या  
पाँच द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11  
स्वीकार होने से खारिज किया जा चुका है। मूलवाद  
के खारिज होने से अब इस पत्रावली में कोई  
कार्यवाही शेष नहीं रहती है। अतः प्रार्थना पत्र  
पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. सशतकारी अधिनियम के  
इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय और  
इजलास सुनाया गया।

प्रकरण फैसल शुमार होकर निम्नरूप से  
कम हो।

(अपर्णा गुप्ता)

IAS

उपखण्ड अधिकारी

गिरवा, उदयपुर